कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, 6वॉ तल उ0प्र0, लखनऊ।

संख्याःएम0ई0–3 / पी0जी0–2023 / 1808 लखनऊःदिनांक 16/08/2023

यू0पी0 नीट पी0जी0–2023 की प्रथम चक्र की ऑन–लाइन काउन्सिलिंग के माध्यम आवंटित अभ्यर्थियो प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश।

1. राजकीय क्षेत्र की सीटो पर आवंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धित मेडिकल कालेज के संस्थान/विश्वविद्यालय/चिकित्सालय स्तर पर सम्पन्न की जायेगी।
2. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजो की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रक्रिया शासन द्वारा नामित नोडल सेन्टरो पर करायी जायेगी।
3. आवंटित अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
4. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल शैक्षणिक/श्रेणी/उपश्रेणी एवं अन्य प्रमाण–पत्र के साथ आवंटित कालेज/नोडल सेन्टर पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
5. निजी क्षेत्र के कालेजो मे आवंटन–प्राप्त अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) का सी0टी0एस बैंक ड्राफ्ट जो **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0** (Director General, Medical Education & Training, U.P. Payable at Lucknow) के पक्ष मे निर्गत हो जमा किया जायेगा। शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण–शुल्क तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं के फीस स्ट्रक्चर वेबसाइट dgme.up.gov.in एवं upneet.gov.in पर उपलब्ध है।
6. ऐसे अभ्यर्थी, जो ऑल इण्डिया कोटे के माध्यम से आवंटन प्राप्त कर प्रदेश की राजकीय सीटों पर प्रवेशित है, तत्पश्चात् स्टेट कोटे की सीटों पर आवंटन प्राप्त होने की दशा में आल इण्डिया के माध्यम से प्रवेशित मेडिकल/डेण्टल कालेज द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र के आधार पर स्टेट कोटा की सीट पर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र (100 रू0 के स्टैम्प पेपर पर) दिया जायेगा कि वह अपने मूल अभिलेख संबंधित कालेज/ नोडल सेन्टर पर दिनांक 25.8.2023 को अपरान्ह 5.00 बजे तक जमा कर देंगे। निर्धारित तिथि तक समस्त अभिलेख मूल रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी सीट को रिक्त मानते हुये द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में सम्मिलित कर लिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।
7. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को मेडिकल कालेज/नोडल सेन्टर स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराया जाना अनिवार्य है।
8. उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय जाति प्रमाण–पत्र दिनांक 01 अप्रैल 2023 अथवा इसके पश्चात् का निर्गत ही मान्य होगा।
9. अद्यतन/महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी हेतु समय–समय पर विभागीय वेबसाइट www.dgmeup.gov.in तथा www.upneet.gov.in का निरन्तर अवलोकन करते रहे।

महानिदेशक।